



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी

कोलकाता- 700 001

वेबसाइट: <https://teaboard.gov.in>

दूरभाष: 033-2235 1331

ई-मेल : secretary.tbi-wb@gov.in

एक्सटेंशन: 278

संदर्भ सं 11(2)/LC/विविध/WL/2021/ 554

दिनांक: 20.06.2023

परिपत्र

विषय: पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) में संशोधन के लिए आवेदन शुल्क का कार्यान्वयन

यह सूचित किया जाता है कि पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए परिवर्तिता मॉड्यूल रु.1180/- (रु. 1000/- प्लस लागू जीएसटी) के आवेदन शुल्क के साथ डीजीएफटी पोर्टल में लागू किया गया है।

डीजीएफटी द्वारा जारी आईईसी प्रमाणपत्र और टी बोर्ड द्वारा जारी निर्यातक लाइसेंस में इस तरह के संशोधन को शामिल करने के अधीन मौजूदा ईआरसीएमसी में संशोधन का प्रावधान किया गया है।

तदनुसार, पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) रखने वाले आवेदक आवश्यकता के अनुसार मौजूदा पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) में संशोधन के लिए ऑनलाइन पोर्टल <https://www.dgft.gov.in> के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

रजनीगंधा शील नस्कर

(रजनीगंधा शील नस्कर)

अनुज्ञापन नियंत्रक

वितरण:

1	सभी चाय उत्पादक संघ	कृपया सूचना हेतु
2	सभी क्रेता संघ	
3	सभी निर्यातक संघ	
4	कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड, गुवाहाटी	
5	कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड, कून्नूर	
6	उपनिदेशक, टी बोर्ड, सिलिगुड़ी	
7	प्रभारी, टी बोर्ड, पालमपूर	